पत्र संख्या—बी0एस0 3-10-1559/2009 + 06 1597

निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना का कार्यालय, बिहार।

(दाखिल करने का प्रमाण—पत्र)

'आयरा टेक्निकल इंस्टीच्यूट एजुकेशन वेलफेयर सोसाईटी'

के संबंध में।

पटना, दिनांक— 06/8/2009

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित आलेख सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के उपबंधों के अनुसार यथावत दाखिल / निबंधित / अभिलिखित किया / किये गये हैं।

फीस का ज्ञाप रू0 50/— (पचास रूपये) मात्र।
संस्था का स्मृति—पत्र / नियमावली एवं आम सभा के प्रस्ताव की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

6.8.09

वास्ते, निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

श्री अवधेश यादव,
सचिव / ~~अध्यक्ष~~
'आयरा टेक्निकल इंस्टीच्यूट एजुकेशन वेलफेयर सोसाईटी'
ग्राम - चन्दयपिया, पो० - रजौन, थाना - रजौन
जिला - बाँका, पिन कोड - 813107 (बिहार)

की सेवा में उनके पत्र संख्या— .... दिनांक— 28/07/09 के प्रसंग में अग्रसारित।

निबंधन प्रमाण—पत्र संलग्न है। प्राप्ति की सूचना दें।

6.8.09

वास्ते, निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

आम सभा का प्रस्ताव

आज दिनांक 25.05.2008 को "आसरा टेक्निकल इंस्टीच्यूट ऐजुकेशन वेलफेयर सोसाईटी" नामक संस्था के अध्यक्ष **अमरजीत कुमार** की अध्यक्षता में एक आम सभा का आयोजन किया गया।

प्रस्ताव संख्या – 01

इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस संस्था का निबंधन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के अन्तर्गत करायी जाय ।

प्रस्ताव संख्या – 02

साथ ही सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि इस संस्था के निबंधन का भार सचिव **अवधेश यादव** पर सौपा जाय ।

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद के बाद सभा समाप्ति की विधिवत घोषणा की गई

Amar Jeet Kumar
ह0/–
अध्यक्ष

प्रमाणित किया जाता है कि यह आम–सभा के प्रस्ताव की सच्ची प्रति है ।

Awdhesh Yadav. — सचिव

Amar Jeet Kumar — अध्यक्ष

"आसरा टेक्निकल इंस्टीच्यूट ऐजुकेशन वेलफेयर सोसाईटी"

का

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम :– "आसरा टेक्निकल इंस्टीच्यूट ऐजुकेशन वेलफेयर सोसाईटी"

2. निबंधित कार्यालय :– इस संस्था का निबंधित कार्यालय-ग्राम-चकसफिया, पो0-रजौन, थाना-रजौन, जिला-बाँका, पिन कोड-813107 (बिहार) में रहेगा। स्थान परिवर्तन की सूचना संबंधित कार्यालय को संबंधित पदाधिकारियों को 15 दिन पूर्व दे दी जाएगी ।

3. कार्यक्षेत्र :– इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा ।

4. उद्देश्य :–

1) संस्था के द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को टंकण कला, आशुलिपि, कम्प्युटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, कम्प्यूटर इलैक्ट्रॉनिक्स, रेडिया, टी0वी0, फीटर इलेकट्रीशियन, वायर मैन, वैल्डर एयर कंडीशनर तथा औधोगिक प्रशिक्षण अन्य तकनीकी ज्ञान के बारे में प्रशिक्षण देना। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु सिलाई, कटाई, बुनाई, कशीदाकारी पेन्टिंग, गुड़िया, हस्तकला, शिल्प कला, हैण्डीक्राफ्ट, आदि के बारे में जानकारी देना।

2) संस्था के द्वारा समाज के गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक शैक्षणिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना । विभिन्न स्तरों की शिविर, गोष्ठि, सम्मेलन का आयोजन करना ।

3) संस्था के द्वारा आदर्श ग्राम के निर्माण के लिए पर्यावरण एवं वृक्षारोपण की समुचित व्यवस्था करना, गन्दी बस्तियों की सफाई, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, शौचालय एवं स्नानागार की समुचित व्यवस्था करना।

4) संस्था के द्वारा लोगों के शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक रूप से कार्य करेगी, खासकर गरीब एवं पिछड़े क्षेत्र में वैकल्पिक शिक्षा नवाचारी शिक्षा, व्यस्क शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, रात्रि पाठशाला, बाल श्रमिक विद्यालय, रात्रि पाठशाला, पुस्तकालय, वाचनालय, संग्रहालय की स्थापना, नृत्य, नाटक, का शिक्षण प्रशिक्षण एवं संचालन करना ।

5) संस्था के द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु विद्यालय एवं शिक्षण संस्थान का संचालन तथा शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना एवं संचालित करना। मेधावी गरीब छात्रों को प्रोत्साहित करना ।

6) संस्था के द्वारा लोगों को लघु उद्योग, कृषि उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग का प्रशिक्षण, पशुपालन, दुध उत्पादन, रेशम कीट पालन, घृत मक्खन निर्माण, डेयरी प्रोजेक्ट,, मधुमक्खी पालन, चरखा एवं हस्त उद्योग का संचालन करना।

7) संस्था के द्वारा विधवा वृद्ध, गरीब तथा अनाथ बच्चों के लिए आश्रम स्थल, भोजन, मुफ्त चिकित्सा प्रदान करना शिक्षा की व्यवस्था करना एवं महिला संगठनों का गठन करना ।

8) संस्था के द्वारा बाढ़, अकाल, महामारी, सुखाड़ एवं अन्य आकस्मिक आपदाओं में शिविर लगाकर राहत कार्यक्रम संचालित करना ।

9) संस्था के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों को चौमुखी विकास हेतु आगंनबाड़ी, बालबाड़ी, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह, पालनागृह, पौष्टिक आहार केन्द्र एवं ग्रामीण रोजगार योजनाओं का संचालन करना।

10) संस्था के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के अन्तर्गत परिवार कल्याण की समुचित जानकारी एवं पोलिया उन्मूलन जागरूकता अभियान, टीकाकरण, कैंसर जैसे असाध्य रोगों से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयेाजन करना कुष्ट रोगियों के उपचार की व्यवस्था करना।

11) बाल–श्रमिक, महिला श्रमिक एवं अन्य श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना।

12) संस्था के द्वारा दलित, पिछड़े वर्ग के बाल स्वास्थ्य, महिला कल्याण एवं नारी सशक्तिकरण की दिशा में प्रदत्त दायित्व का निर्वाह करते हुए उनकी प्रगति के लिए कार्य करना।

13) संस्था के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा, तकनीकी प्रशिक्षण आदि का संचालन करना एवं टी0वी0,हेपेटाईटिस बी0,कालाजार, हृदय रोग, आँखो की बिमारी, पोलियो, कैंसर, असाध्य रोग एवं एड्स से बचने के लिए आवश्यक जानकारी एवं दवा उपलब्ध कराना एवं अन्य नई–नई बिमारीयाँ के बचने के लिए प्रचार–प्रसार करना।

14) संस्था के द्वारा बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशाखोरी आदि की रोकथाम हेतु कार्य करना ।

जिला निबंधक आयुक्त (?)

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, पेशा, योग्यता एवं पद नीचे दिया गया है वर्तमान कार्यकारिणी समिति के सदस्य है जिनपर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौपा गया है :-

क्र0	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	योग्यता	पद
1.	अमरजीत कुमार पिता-श्री योगेन्द्र यादव	ग्राम-धनसार, पो0-कठरंग, जिला-बाँका	समाजसेवा	बी0ए0	अध्यक्ष
2.	अवधेश यादव पिता-श्री नारायण यादव	ग्राम-धनसार, पो0-कठरंग, जिला-बाँका	समाजसेवा	बी0ए0	सचिव
3.	मिथिलेश कुमार पिता-श्री नकुल प्रसाद	ग्राम-गंगट्टी, पो0-सैनो, जिला-भागलपुर	समाजसेवा	मैट्रिक	कोषाध्यक्ष
4.	लक्ष्मी देवी पति-श्री छोटे लाल	ग्राम-गंगट्टी, पो0-सैनो, जिला-भागलपुर	समाजसेवा	मैट्रिक	सदस्य
5.	सुमित कुमार पिता-शंकर प्रसाद सिंह	ग्राम-धनसार, पो0-कठरंग, जिला-बाँका	समाजसेवा	मैट्रिक	सदस्य
6.	अमित कुमार पिता-श्री नरेश प्रसाद	ग्राम-चकसफिया, पो0+थाना-रजौन, जिला-बाँका	समाजसेवा	मैट्रिक	सदस्य
7.	पुष्पा कुमारी पति-अनिल कुमार	ग्राम-कठचातर, पो0-लीलातरी, जिला-बाँका	समाजसेवा	इंटर	सदस्य

मिलान किया
आशुतोष

Avadhesh Yadav.

6. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, पेशा एवं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है वर्तमान में इस संस्था के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधन के आकांक्षी है :-

क्र0	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	हस्ताक्षर
1.	अमरजीत कुमार पिता–श्री योगेन्द्र यादव	ग्राम–धनसार, पो0–कठरंग, जिला–बाँका	समाजसेवा	Amarjeet Kumar
2.	अवधेश यादव पिता–श्री नारायण यादव	ग्राम–धनसार, पो0–कठरंग, जिला–बाँका	समाजसेवा	Awadhesh Yadav.
3.	मिथिलेश कुमार पिता–श्री नकुल प्रसाद	ग्राम–गंगट्टी, पो0–सैनो, जिला–भागलपुर	समाजसेवा	मिथिलेश कुमार
4.	लक्ष्मी देवी पति–श्री छोटे लाल	ग्राम–गंगटी, पो0–सैनो, जिला–भागलपुर	समाजसेवा	लक्ष्मी देवी
5.	सुमित कुमार पिता–शंकर प्रसाद सिंह	ग्राम–धनसार, पो0–कठरंग, जिला–बाँका	समाजसेवा	सुमित कुमार
6.	अमित कुमार पिता–श्री नरेश प्रसाद	ग्राम–चकसफिया, पो0+थाना–रजौन, जिला–बाँका	समाजसेवा	Amit Kumar
7.	पुष्पा कुमारी पति–अनिल कुमार	ग्राम–कठचातर, पो0–लीलातरी, जिला–बाँका	समाजसेवा	Pushpa Kumari

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्तियों को मैं जानता एवं पहचानता हूँ। ये मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया है।

हस्ताक्षर, 4/7/09

पदनाम, पता एवं मुहर

भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी
रजौन (बाँका)

सियाराम प्रसाद

"आसरा टेक्निकल इंस्टीच्यूट ऐजुकेशन वेलफेयर सोसाईटी"

की

नियमावली

1. संस्था का नाम : "आसरा टेक्निकल इंस्टीच्यूट ऐजुकेशन वेलफेयर सोसाईटी"

2. <u>परिभाषा</u>

क) संस्था का अभिप्राय है : "आसरा टेक्निकल इंस्टीच्यूट ऐजुकेशन वेलफेयर सोसाईटी"

ख) समिति से अभिप्राय है : संस्था की कार्यकारिणी समिति ।

ग) पदाधिकारी का अभिप्राय है : अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।

घ) वितीय वर्ष का कार्य है : 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ।

ड़) ऐक्ट से अभिप्राय है : सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860

3. <u>सदस्यता :</u>

प्रत्येक व्यक्ति जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक की हो जो संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का निष्ठा पूर्वक पालन करते हों वे संस्था के सदस्य बन सकते है। सदस्यता ग्रहण करने हेतु उसे विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी। संस्था के प्रत्येक सदस्य को 51/- रूपये प्रवेश शुल्क एवं 25/- रूपये वार्षिक सदस्यता शुल्क देना अनिवार्य होगा।

4. सदस्यता से विमुक्ति :-

निम्नलिखित दशाओं में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जायेगी

क) स्वयं त्याग पत्र देने पर

ख) पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।

ग) न्यायालय द्वारा किसी फौजदारी मुकदमों में सजा पाने पर ।

घ) सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।

ड़) लगातार तीन बैठकों में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर ।

च) अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ।

छ) संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों के विरूद्ध आचरण करने पर ।

5. कार्यकारिणी समिति का गठन :-

क) कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित कम से कम 7 सदस्यों की होंगे।

ख) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आमसभा के द्वारा किया जायेगा ।

Awadhesh Yadav
जिला निबंधक आयुक्त

ग) कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्षो का होगा। सेवा निवृत सदस्य पुनः चुने जा सकते है ।

घ) यदि किसी कारणवश समिति में कोई पद रिक्त होगा तो उक्त पद पर किसी व्यक्ति को मनोनित कर सकती है। किन्तु वार्षिक बैठक में विधिवत चुनाव करा लेना होगा। मनोनित सदस्य उसी पद के अनुरुप कार्य करेंगे जिस पद के लिए उनका मनोनयन किया गया हो ।

6. **कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-**

क) संस्था के चल या अचल सम्पति के उत्तरदायी होगा ।

ख) संस्था के सभी कार्यो का सम्पादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना।

ग) शाखा एवं उप शाखा का गठन करना ।

घ) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

ड़) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विचार विमर्श करना ।

च) संस्था के प्रति होने वाली नियंत्रण को बरकरार रखना ।

7. **आमसभा के अधिकार एवं कर्तव्य :**

क) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।

ख) संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार करना तथा स्वीकृति देना ।

ग) अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।

घ) अध्यक्ष की राय से अन्य विषय पर विचार करना ।

8. **बैठक :**

क) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी ।

ख) आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी ।

ग) कार्यकारिणी समति की अत्यावश्यक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

घ) आम सभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

9. **प्रार्थित बैठक :**

एक तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर आवेदन प्राप्ति कर के एक माह के अन्दर सचिव को बैठक बुलाना होगा। आवेदन पत्र में विचारणीय विषय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यदि सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक नहीं बुलाते है तो आवेदकों को अधिकार होगा कि आवेदन में उल्लिखित विषय के निर्णय हेतु उक्त अवधि के उपरान्त बैठक का आयोजन कर सकते हैं ।

10. बैठक की सूचना :

क) कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना–7 दिन पूर्व दी जाएगी ।

ख) आम सभा के साधारण बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जाएगी ।

ग) कार्यकारिणी समिति की आवश्यक बैठक की सूचना 48 घंटे पूर्व दी जाएगी।

घ) बैठक की सूचना डाक पंजी या विशेष दूत द्वारा दी जाएगी ।

ड़) आम सभा की आवश्यक बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जाएगी ।

11. पदाधिकारियों का कर्तव्य एवं अधिकार :–

अध्यक्ष :

क) संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।

ख) कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना ।

ग) किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।

ध) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

सचिव :

क) संस्था के प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।

ख) बैठक की कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में अंकित करना तथा अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।

ग) प्रत्येक पंजी एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।

घ) संस्था की ओर से पत्राचार करना ।

ड़) संस्था के आय–व्यय का अंकेक्षण करना ।

च) कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश कार्यकारिणी समिति के सलाह पर करना ।

छ) संस्था के हित में कार्य करना ।

ज) आवश्यकता पड़ने पर समिति के बिना पूर्वानुमति के 1000/- रू0 तक व्यय करना ।

झ) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

कोषाध्यक्ष :

क) संस्था के आय–व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा बैठक में प्रस्तुत करना ।

ख) प्रवेश शुल्क सदस्यता शुल्क दान चन्दा प्राप्त कर रसीद देना ।

ग) संस्था के कोष किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से जमा करना ।

12. **कोष का संचालन :**

संस्था के कोष का संचालन संस्था के नाम खुले डाकघर या राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा की जायेगी तथा सभी रकम की निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी ।

13. **कोरम :**

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का साधारण बहुमत होगा । कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी ।

14. **आय का साधन :**

क) प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता शुल्क

ख) सरकारी, गैर-सरकारी दान, अनुदान, एवं चन्दा

ग) प्रशिक्षण के दौरान संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से ।

15. **पंजी का निरीक्षण :**

संस्था की सभी पंजी निबंधित कार्यालय में जमा रहेगी । जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते है ।

16. **निधि का अंकेक्षण :**

क) संस्था की आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जायेगा तथा आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराया जायेगा ।

ख) निबंधन महानिरीक्षक कभी भी अपने विवेक से संस्था का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट से करा सकते हैं इस अंकेक्षण हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेंट का शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जायेगा ।

17. **कानूनी कार्रवाई :**

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति की सलाह से की जायेगी ।

18. **नियमावली में संशोधन :-**

नियमावली में किसी भी प्रकार का संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा ।

मिलान किया
आशुतोष

Akhilesh Yadav

19. विघटन :

क) आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जोयगा ।

ख) संस्था के विघटनोपरांत जो चल या अचल संपत्ति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नही बांटी जायेगी बल्कि आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर समान उद्देश्य वाली दूसरी संस्था या सरकार को दे दी जायेगी ।

ग) संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 21, 1860 की धारा 13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रति है ।

Amarjeet Kumar	Awadhesh Yadav	अखिलेश कुमार
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

मिलान किया आशुलिपिक

6.8.07

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

क्रम संख्या 9843 तिथि 15/07/09 मूल्य 50/- शीट संख्या

D 216749

क्रेता का नाम एवं पता

युगल किशोर प्रसाद, मुद्रांक विक्रेता
ला० नं०-8/77, कलक्ट्रीयट, पटना